सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2023 / 55 दर्ज तिथिः—13.02.2023

1. सदराम पुत्र हरचंद
   जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

......................वादी

बनाम

1. श्रीराम पुत्र हरचंद
2. बाबूलाल पुत्र हरचंद
   जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

................असल प्रतिवादीगण

3. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे शाखा गुड़ामालानी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः—श्री बाबूलाल विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—20.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 278 / 3.5208 है0 मौजा मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.03 13:12:07 IST
Reason: SelfAttested

तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामिल के प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी द्वारा दौरान—ए—बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.05.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1860 दिनांक 14.08.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1860 दिनांक 14.08.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21 Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 09.07.2024 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 743—744 दिनांक 08.07.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 09.07.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.03 13:12:07 IST
Reason: SelfAttested

तैयार की गई।	कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 743—744 दिनांक 08.07.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 09.07.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075—2078 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 278/3.5208 है0 मौजा मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 278/3.5208 है0 मौजा मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
श्रीराम पुत्र हरचंद हिस्सा पूर्ण जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन—एसबीबीजे गुड़ामालानी पूर्ण हिस्सा	मौखावा	278	1.7016	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.7016 है0				
सदराम पुत्र हरचंद हिस्स पूर्ण जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	मौखावा	278	1.7017	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.7017 है0				
गै0मु0 रास्ता	मौखावा	278	0.1175	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.1175 है0				

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.03 13:12:07 IST
Reason: SelfAttested

नोटः— खसरा संख्या 278 में रास्ता वर्तमान नक्शे में लाल रंग से अंकित कर दर्शाया गया है। उक्त रास्ते को नक्शे में श्रीराम पुत्र हरचंद व सदराम पुत्र हरचंद के हिस्से में आगे तक दर्शाया गया है। उक्त रास्ते को संशोधित करते हुए श्रीराम पुत्र हरचंद के हिस्से के सेढे—सेढे सदराम पुत्र हरचंद के हरे रंग से प्रदर्शित हिस्से की सीमा तक ही सीमित रखा जाकर अंकित किया जावे। अर्थात्त उक्त रास्ते को नक्शे में श्रीराम पुत्र हरचंद व सदराम पुत्र हरचंद के हिस्से में आगे तक नहीं रखा जावे।

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.03 13:12:07 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2023 / 55 दर्ज तिथिः—13.02.2023

1. सदराम पुत्र हरचंद
   जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.......................वादी

बनाम

1. श्रीराम पुत्र हरचंद
2. बाबूलाल पुत्र हरचंद
   जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.................असल प्रतिवादीगण

3. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे शाखा गुड़ामालानी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः—श्री बाबूलाल विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 278 / 3.5208 है0 मौजा मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.03 13:12:07 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
श्रीराम पुत्र हरचंद हिस्सा पूर्ण जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन—एसबीबीजे गुड़ामालानी पूर्ण हिस्सा	मौखावा	278	1.7016	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.7016 है0				
सदराम पुत्र हरचंद हिस्स पूर्ण जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	मौखावा	278	1.7017	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.7017 है0				
गै0मु0 रास्ता	मौखावा	278	0.1175	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.1175 है0				
नोटः— खसरा संख्या 278 में रास्ता वर्तमान नक्शे में लाल रंग से अंकित कर दर्शाया गया है। उक्त रास्ते को नक्शे में श्रीराम पुत्र हरचंद व सदराम पुत्र हरचंद के हिस्से में आगे तक दर्शाया गया है। उक्त रास्ते को संशोधित करते हुए श्रीराम पुत्र हरचंद के हिस्से के सेढे—सेढे सदराम पुत्र हरचंद के हरे रंग से प्रदर्शित हिस्से की सीमा तक ही सीमित रखा जाकर अंकित किया जावे। अर्थात्त उक्त रास्ते को नक्शे में श्रीराम पुत्र हरचंद व सदराम पुत्र हरचंद के हिस्से में आगे तक नहीं रखा जावे।				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 20.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.03 13:12:07 IST
Reason: SelfAttested